अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान पार्टीशन वाद संख्या– 01/2018–19

मन्शा पान।

वनाम

गुरूचरण तांती एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 13.04.2018 को वादी मन्शा पान, पिता– स्व० धानी राम तांती, निवासी एवं पो०– गुड़ा, थाना– झींकपानी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Suit for partition of schedule-“A” property and craving out of separate share of in favour of the plaintiff by metes and bounds) के लिए प्रतिवादी 1. गुरूचरण तांती, पिता– स्व० बुधन तांती, 2. विशकेशन तांती, पिता– स्व० धानी तांती, 3. संतोष दास (पान), 4. छोटु दास (पान), दोनों का पिता– स्व० लक्ष्मण तांती, सभी का ग्राम एवं पो०– गुड़ा, थाना– झींकपानी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्ष द्वारा लगातार अपना पक्ष नहीं रखने के कारण दो बार नोटिस अंचल अधिकारी, झींकपानी को भेजा गया। जिसके उपरान्त दोनों बार तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। नोटिस भी दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 27.12.2021 को वादी, प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है की उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

29.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

29.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:31:38 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner